प्रगति प्रतिवेदन

2020-2021

(01.04.2020 से 31.12.2020 तक)

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

Entrepreneur First

राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302005
फोन : 0141-2385522, फैक्स : 0141-2385503
वेबसाइट : www.rfc.rajasthan.gov.in
मेल आईडी : info@rfc.rajasthan.gov.in

प्रगति प्रतिवेदन
2020–2021
(01.04.2020 से 31.12.2020 तक)

राजस्थान वित्त निगम

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005
फोन : 0141–2385522, फैक्स : 0141–2385503
वेबसाइट : www.rfc.rajasthan.gov.in
मेल आईडी : info@rfc.rajasthan.gov.in

राजस्थान वित्त निगम
प्रगति प्रतिवेदन
2020–21
(01.04.2020 से 31.12.2020 तक)

राजस्थान वित्त निगम की स्थापना राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत वर्ष 1955 में हुई थी। वित्त निगम की स्थापना का मुख्य उददेश्य राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना, विद्यमान उद्योगों के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण हेतु 20 करोड़ रूपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

निगम द्वारा अपनी स्थापना से 31 मार्च, 2020 तक कुल 83736 इकाईयों को 8400.45 करोड़ रूपये के ऋण स्वीकृत एवं 65258 इकाईयों को 5970.05 करोड़ रूपये के ऋण वितरित किये जा चुके हैं।

निगम का संगठनात्मक ढांचा :

निगम का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्न प्रकार है –

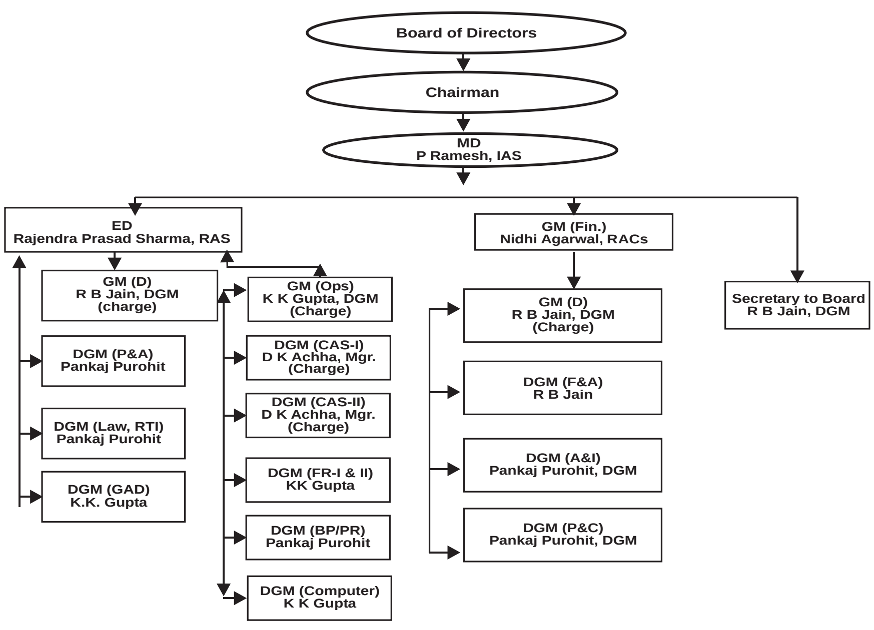

स्वीकृत – कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या (31.12.2020 को)		
	राजपत्रित (*)/ अराजपत्रित पद	स्वीकृत (***)	भरे	रिक्त
1	कार्यकारी निदेशक/ कार्यकारी निदेशक (वित्त)(*)	2	2	–
2	महाप्रबन्धक	2	–	2
3	उप महाप्रबन्धक	12	3	9
4	प्रबन्धक	20	6	14
5	सचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1	–	1
6	उप प्रबन्धक	67	47	20
7	सहायक प्रबन्धक	104	63	41
8	स्टेनोग्राफर ग्रेड–I	11	8	3
9	वरिष्ठ सहायक	52	38	14
10	स्टेनोग्राफर ग्रेड–II	25	20	5
11	स्टेनोटाइपिस्ट	18	15	3
12	सहायक	128	43	85
13	कनिष्ठ सहायक/ टाइपिस्ट	51	17	- (**)
14	ड्राइवर	18	11	7
15	मुख्य जमादार	3	–	3

16	जमादार	52	36	16
17	डी.एम.ओ.	1	—	1
18	संदेशवाहक	43	69	-

नोट —

(**) संचालक मण्डल के दिनांक 14.09.2012 एवं 14.12.2012 के निर्णयानुसार बी व सी श्रेणी की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी।

(***) यह स्वीकृत पद स्वेच्छिक सेवा निवृति के पश्चात शेष रहे पद हैं।

परिचालन खर्चों में कमी हेतु प्रयास

निगम द्वारा अपने परिचालन खर्चों में कमी करने के उद्देश्य से (दिनांक 31.12.2020 तक) 97 अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों/बोर्डों में विपरीत प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा चुका है, जिससे निगम के खर्चों में लगभग 9.71 करोड रुपये की वार्षिक कमी आएगी। दिनांक 31.12.2020 को निगम की 22 शाखाएं / फैसिलिटेशन सेंटर कार्यरत हैं।

निगम के प्रमुख उद्देश्य

1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
2. राज्य के तीव्र औद्योगीकरण में सहयोग देना तथा औद्योगिक गति को नया आयाम देना
3. स्थापित उद्योगों के विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण हेतु ऋण उपलब्ध करवाना
4. राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका के रूप में कार्य करना

निगम द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि क्रय, भवन निर्माण, यंत्र–संयंत्र खरीदने एवं कार्यशील पूंजी हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। उद्योगों को यथाशीघ्र ऋण स्वीकृत किये जा सकें जिसके लिए ऋण स्वीकृत करने की शक्तियों का भी विकेन्द्रीकरण हुआ है जिसके परिणामस्वरूप छोटे उद्योगों की स्थापना हेतु शाखा स्तर पर ही ऋण स्वीकृत करने के अधिकार दिये गये हैं।

ऋण स्वीकृति की शक्तियां

निगम द्वारा राज्य में उद्योग स्थापित करने हेतु 20 करोड रुपये तक के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं। ऋण स्वीकृति एवं वितरण हेतु निगम के राज्य भर में 22 शाखा कार्यालय/फैसिलिटेशन सेंटर कार्यरत हैं। ऋण स्वीकृति की शक्तियां निम्न प्रकार हैं –

मुख्यालय स्तर पर –

सक्षम अधिकारी	(₹ लाखों में)
एक्ज्यूकेटिव कमेटी (Executive Committee)	2000.00
प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसलटेटिव कमेटी (PC&CC)	1000.00
कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसलटेटिव कमेटी (PC&CC)	500.00
महाप्रबन्धक (आपरेशन) की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट क्लियरेंस एण्ड कंसलटेटिव कमेटी (PC&CC)	300.00

शाखा कार्यालय स्तर पर –

सक्षम अधिकारी	(₹ लाखों में)
1. नोडल आफीसर/उप महाप्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	200.00
2. प्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	200.00
3. उप प्रबन्धक (शाखा) की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय ऋण सलाहकार कमेटी (DLAC)	100.00

समस्त स्थायी परिसम्पत्तियों पर निगम का प्रथम प्रभार रहता है। अतिरिक्त प्रतिभूति जोखिम, ऋण राशि व प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर कोलेटरल सिक्योरिटी ली जाती है।

वित्तीय सहायता के लिए आवश्यक मापदण्ड :

• प्रवर्तक का अंशदान	परियोजना लागत का कम से कम 33 %
• डेब्ट इक्विटी अनुपात	2 : 1 से अधिक नहीं
• प्रतिभूति मार्जिन अ. सामान्य प्रकरण में ब. फेब्रिकेटेड आइटम्स, डाईज व मोल्ड्स, फर्नेस, फर्नीचर व फिक्चर्स में	 30 % 50 %
• डेब्ट सर्विस कवरेज अनुपात	1.70 : 1 से कम नहीं

निगम की ऋण योजनाएं

वित्त निगम द्वारा औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निम्नांकित मुख्य ऋण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं –

1. सामान्य ऋण योजना
2. सर्विस सेक्टर हेतु ऋण योजना
3. रियल एस्टेट सेक्टर हेतु ऋण योजना
4. एकल खिडकी ऋण योजना
5. प्रोफेशनल हेतु ऋण योजना
6. फाइनेन्सिंग अगेन्स्ट असेट्स ऋण योजना
7. किराये की भूमि/भवन पर ऋण योजना
8. स्विच ओवर ऋण योजना
9. सरल ऋण योजना
10. टॉप अप ऋण योजना
11. राज्य में स्थापित होने वाले सोलर उर्जा से संबंधित उद्योगों पर ऋण योजना
12. उद्योग, होटल एवं अस्पताल के लिए रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में आवंटित भूखण्ड हेतु योजना
13. स्पेशल लोन स्कीम फॉर मार्बल प्रोसेसिंग यूनिट (जिनके पास इम्पोर्ट लाइसेंस हो)
14. युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना

15. इंफार्मेशन टेक्नोलोजी हेतु योजना
16. कार्यरत गेस्ट हाउसों के लिए सरल ऋण योजना
17. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना

गुड बॉरोअर्स ऋण योजनाएं

18. लघु अवधि ऋण योजना (एस.टी.एल.)
19. कार्यशील पूंजी ऋण योजना
20. गोल्ड कार्ड ऋण योजना
21. प्लेटीनम कार्ड ऋण योजना
22. यूनिट्स प्रमोटेड बाई गुड बॉरोअर्स योजना
23. फ्लेक्सी ऋण योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग उद्यमियों को प्रदत्त रियायतें

निगम द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को 5.00 लाख रूपये तक के ऋण, उद्योगों की स्थापना एवं होटल आदि के लिए सामान्य दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन उद्यमियों को 5.00 लाख रूपये तक के ऋण आवेदन पत्रों पर लिये जाने वाले शुल्क में भी 50 प्रतिशत की रियायत दी जाती है।

विकलांग उद्यमियों को भी 5 लाख रूपये तक के ऋणों पर 2 प्रतिशत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है एवं महिला

उद्यमियों को 5 लाख रूपये तक के ऋणों पर ब्याज दर में एक प्रतिशत की छूट दी जाती है।

<u>ऋण वितरण</u>

ऋण का वितरण, ऋण स्वीकृति पत्र की आवश्यक शर्तों को पूरा करने तथा ऋण दस्तावेजों का निष्पादन करने के पश्चात किया जाता है। संयुक्त वित्त पोषित इकाइयों के मामलों को छोडकर सभी इकाइयों को ऋण का वितरण शाखा स्तर से होता है। इकाई की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन व उद्यमी द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद राशि प्राप्त की जा सकती है।

परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करवाने एवं उनमें उत्पादन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से शाखा/मुख्यालय स्तर पर गठित "प्रोजेक्ट मोनीटरिंग सैल" द्वारा क्रियान्विति में चल रही परियोजनाओं का आंकलन किया जाता है एवं उद्यमी को आने वाली कठिनाइयों का विश्लेषण कर समुचित मार्ग–दर्शन किया जाता है।

ऋण वितरण के समस्त अधिकार (संयुक्त वित्त पोषित इकाइयों को छोडकर) शाखा कार्यालय को देने के बाद मुख्यालय द्वारा भी ऋण वितरण की मोनीटरिंग की जाती है एवं ऋण वितरण में हुई देरी की समीक्षा की जाकर मुख्यालय द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाती है।

ऋण वसूली

निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयों से ऋण वसूली की एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अंतर्गत उद्यमी को ऋण वितरण के तीन माह बाद ब्याज की किश्तों को जमा करवाना प्रारम्भ किया जाता है तथा मूल ऋण की किश्तों की अदायगी प्रायः 12 से 18 माह बाद प्रारम्भ की जाती है एवं अदायगी का समय 10 वर्षो तक का होता है। फिर भी अधिकांश प्रकरणों में बाजार के उतार—चढ़ाव एवं उद्यमी स्तर पर विभिन्न समस्याओं के कारण निगम को विभिन्न रियायतों के संबंध में आवेदन प्राप्त होते हैं। निगम द्वारा ऋणी इकाइयों के आवेदन पत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के पश्चात प्रचलित प्रावधानों के अनुसार विभिन्न रियायतें जैसे किश्तों का पुनर्निर्धारण, डेफरमेंट, दण्डनीय ब्याज में माफी आदि दी जाती है। निगम उद्यमियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहा है तथा निगम का सदैव यही प्रयास रहा है कि उद्योग मूल उद्यमी के पास सुचारू रूप से उत्पादनरत रहें।

इसके अतिरिक्त उद्यमियों को राहत देने हेतु एक मुश्त निपटारा योजना (OTS) भी वर्ष 2020—21 के दौरान 01.10.2020 से 31.12.2020 तक प्रचलन में थी। योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक खातों के निपटारे से 0.04 करोड रूपये की वसूली की जा चुकी है।

अधिगृहीत इकाइयों का पुनर्जीवन

निगम द्वारा वित्त पोषित इकाइयां जो कि निगम की बकाया राशि का भुगतान पूरे अवसर देने के उपरांत भी नहीं करती हैं तो ऐसी इकाइयों का अधिगृहण निगम द्वारा एस.एफ.सी.एक्ट, 1951 की धारा 29 एवं 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाता है।

निगम का प्रथम प्रयास यही रहता है कि मूल ऋणी द्वारा ही इकाई को पुनः उत्पादन में लाया जावे। अधिगृहण के पश्चात भी अगर मूल ऋणी निगम में निर्धारित राशि जमा करा देता है तो इकाई उसे वापस लौटा दी जाती है । परन्तु ऐसा न होने पर निगम द्वारा अधिगृहीत इकाइयों की परिसम्पत्तियों का विक्रय कर पुनः उत्पादन में लाया जाता है।

निगम के पास वर्ष 2019–20 के प्रारम्भ में अधिगृहीत इकाइयों की संख्या 38 थीं जिनमें 152.58 करोड रुपया बकाया था । वर्ष के दौरान निगम द्वारा कुल 9 इकाइयों का, जिनमें निगम का 44.66 करोड रूपया बकाया था, अधिगृहण किया गया एवं 9 इकाइयां जिनमें 3.56 करोड रूपया बकाया था को विक्रय द्वारा प्रबन्ध में परिवर्तन कर एवं मूल ऋणियों को वापस लौटाकर पुनर्जीवित किया गया। वर्ष के अंत में निगम के अधिग्रहण में 38 इकाइयां हैं।

चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 (माह दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान निगम द्वारा 3 इकाइयों को अधिगृहित किया गया एवं 2 इकाइयों को विक्रय कर प्रबन्ध में परिवर्तन द्वारा एवं मूल ऋणी को इकाई वापस लौटाकर पुनर्जीवित किया गया।

राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका

राज्य में स्थित औद्योगिक इकाइयों को ब्याज मुक्त ऋण, पूंजी विनियोजन अनुदान एवं ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की दिशा में वित्त निगम राज्य सरकार के अभिकर्ता की भूमिका निर्वाहित करता है।

वित्तीय संसाधन

वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी रूपये 500 करोड है एवं 31 मार्च, 2019 को निगम की प्रदत्त पूंजी रुपये 160.73 करोड थी।

निगम के गत 3 वर्षो के वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्ध वास्तविक प्रगति की सूचना

(₹ करोडों में)

वर्ष	ऋण स्वीकृति		ऋण वितरण		ऋण वसूली	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
2017—18	350.00	386.68	255.00	267.38	255.00	259.23
2018—19	300.00	314.89	260.00	264.11	250.00	270.46
2019—20	250.00	228.60	200.00	190.00	300.00	311.53
2020—21 (दिसम्बर, 2020 तक)	300.00	93.38	250.00	85.11	275.00	150.72

आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धि

निगम द्वारा प्रदेश में औद्योगीकरण को बढावा देने एवं उद्यमियों को राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2020—21 में निम्नांकित निर्णय लिये गये है :

1. युवा उद्यमियों को राज्य में अपना उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से निगम द्वारा वर्ष 2013—14 में ''युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना'' लागू की गई थी। वर्ष 2015—16 में अधिक से अधिक युवाओं को योजना के साथ जोडने हेतु योजना को

व्यापक बनाया गया। वर्तमान में योजनांतर्गत 500 लाख रूपये तक के ऋण 45 वर्ष तक आयु वाले उद्यमियों को स्वीकृत किये जा सकेंगे तथा 150 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान 6 प्रतिशत अधिकतम रूपये 9.00 लाख प्रतिवर्ष उपलब्ध हो सकेगा। निगम द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान माह दिसम्बर, 2020 तक 15 अभ्यर्थियों को 13.05 करोड रूपये के ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

2. युवा उद्यमियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्क्रिनिंग कमेटी का गठन शाखा स्तर पर किया गया ताकि उद्यमियों की ऋण पत्रावलियों को निष्पादन शीघ्रातिशीघ्र हो सके।

3. शाखा स्तर पर ऋण स्वीकृति के अधिकार बढाकर प्रबन्धक स्तर की जिला स्तरीय ऋण सलाहकार समिति 200 लाख रूपये एवं उप प्रबन्धक स्तर की जिला स्तरीय ऋण सलाहकार समिति 100 लाख रूपये किये गये हैं।

4. ऑन लाइन ऋण आवेदकों को आवेदन शुल्क में 25 प्रतिशत या 5000 रूपये (जो भी कम हो) की छूट देने का प्रावधान किया गया।

सार संक्षेप –

(₹ करोडों में)

क्र. स.	विवरण	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16
1	2	3	4	5	6	7
1	ऋण स्वीकृति	228.60 (385)*	314.89 (485)*	386.68 (542)*	410.22 (564)*	328.20 (551)*
2	ऋण वितरण	190.00	264.11	267.38	212.54	223.21
3	ऋण वसूली	311.53	270.46	259.23	237.69	263.06
4	अंश पूंजी –					
	क. (i) अधिकृत	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	(ii) प्रदत्त	160.73	160.73	160.73	160.73	160.73
	ख. वर्षान्त में रिजर्व	283.16	283.16	281.16	279.16	277.16
	ग. बाण्ड शेष	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
	घ. भा.ल.औ.वि. बैंक से प्राप्त पुनर्वित्त	–	–	–	–	–
5	सकल लाभ	53.98	62.50	73.00	56.63	55.77
6	कार्य परिचालन व्यय **	48.64	51.43	54.90	45.85	46.84
7	लाभ / हानि	5.34	11.07	18.10	10.79	8.93
8	शुद्ध लाभ	5.09	9.97	17.00	9.79	7.12

* इकाइयों की संख्या

** ऋण अपलेखन सहित

***

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION

Entrepreneur First

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर